रजिस्ट्री सं० डी०ए ल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4982] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 18, 2018/अग्रहायण 27, 1940
No. 4982] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 18, 2018/AGRAHAYANA 27, 1940

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 दिसम्बर, 2018

का.आ. 6212(अ).—प्रारूप अधिसूचना भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 507 (अ), तारीख 2 फरवरी, 2018 द्वारा भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित की गई थी जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनको उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना की राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, साठ दिन की अवधि के भीतर, आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, उक्त प्रारूप अधिसूचना राजपत्र की प्रतियां जनता को तारीख 5 फरवरी, 2018 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और, प्रारूप अधिसूचना के प्रत्युत्तर में व्यक्तियों और पणधारियों से कोई भी आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए;

और, जमवारामगढ़ वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान के जयपुर शहर के निकट अरावली पहाड़ियों में स्थित है जो कि यह बहुत पुराना अभयारण्य है यह उत्तर की ओर मनोहरपुर दौसा मेगा राजमार्ग और दक्षिण पूर्व की ओर रेंज बस्सी के वन क्षेत्र से घिरा है; इस वन्यजीव अभयारण्य को राजस्थान सरकार की अधिसूचना सं. एफ. 11 (19) राज.-8/01, तारीख 31 मई, 1982 के द्वारा अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया था और इस अभयारण्य का कुल क्षेत्रफल 300 वर्ग किलोमीटर है;

और, जमवारामगढ़ वन्यजीव अभयारण्य, जयपुर (राजस्थान) में विभिन्न वन प्रकार *अनोगेइस्सूस पेंडुला* वन, *अकैशिया कटेचु* वन, *बोसवेल्लिया सेर्राटा* वन, *बुटेया मोनोस्पर्मा* वन, नाला के साथ वन, झाड़ी वन पाए जाते हैं; अभयारण्य में 350 से अधिक पौधें प्रकार पाए जाते हैं, जिसमें से कुछ *अब्रुस प्रेकटोरियस* (इंडियन लिकोरिके), *अक्राच्ने रकेमोसा* (चिंखे), *अबुटीलोन अयरिटुम* (इंडियन मल्लोव), *अम्मान्नीअ अएगीपतियका* (ब्लिस्टरिंग अम्मान्नीया), *अलबीजिया लब्बेक* (सिरिस ट्री), *अरिस्टीडा फुनिकुलता*, *अजादिरचता इंडिका* (नीम), *अजोल्ला फिलिकुलॉइडस* (फेअथेरेद वाटरफेरन), *बलांइटिस अएगीपतियका* (डेजर्ट डेट), *बेरगीया अस्टिवोसा*, *ब्लेफरीस मोलूगिनिफोलीया* (क्रीपिंग ब्लेफरीस), *कैसिया अंगुस्टीफोलीया* (इंडियन सेन्ना), *कैसिया फिस्टुला* (अमलतास), *संचरूस सिलिआरिस* (बुफ्फेल-ग्रास), *केनक्रूस सेटिगेरुस* (काऊ सैंडबार), *सिट्रुलुस कोलोसिंथिस* (कोलोसिंथ), *कोक्कुलुस हिर्सुटुस* (पतालगरुडी), *कम्मीकारपूस चीनेंसिस* (डिफ्फुस होगवीड), *क्रिप्सिस सचोइनोइड्स* (वैम्प प्रिक्क्लेगरास), *कीपेरुस इरीया* (इरीया फ्लैटसेज), *डिजिटरीया लोंगिफ़्लोरा* (लटच्य करबग्रेस्स), *दिओस्प्रोस मेलनोक्सिलों* (कोरोमंडल एबोनी), *इचिनोचलोआ कोलोना* (जंगल रीज़), *एक्लिप्टा अल्बा* (एक्लिप्टा प्रोस्ट्रेटा), *इयफोर्बिआ सर्पेंस* (मटेड संदमत), *फलकोर्टीअ इंडिका* (रमोनची), *ग्रेविआ टिलीफोलीअ* (धमन), *हेलिओट्रोपियम मारीफोलियम* (सीफोर्थ), *जट्रोफा कर्कस* (जट्रोफा), *जस्टीकिया प्रोकंरबेन्स* (तरंगमबाडी), *लगगेरा ऑरिटा, लउनिया अस्प्लेनिफोलीअ* (जंगी गोबी), *लेपिड़गाठिस क्रिस्टता*(बुखार जड़ी), *लिंडेनबेर्गिए माक्रोस्टाच्या* (लिंडेनबेर्गिए), *मेलिलोटूस इंडिका* (स्वीट-क्लोवर), *नेरियम इण्डिकम* (ओलियंडर), *फ़ीनिक्स सिल्वेस्ट्रिस* (वाइल्ड डेट पाम), *पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस* (सांता-मारिया), *पेंटानेमा इण्डिकम* (बिछलू), *फयल्लांथुस इमबलिका* (भारतीय गोसबेरी), *पुपालिया लप्पाकेअ* (नागादामिनै), *रुमेक्स डेंटुस* (थोथेड डोक्क), *सकिर्पस रॉयलेना* (भद्रुन), *सिसीज़ियम कुमिनी* (जंबोलन), *सेसमुम इंडिकम* (सेसम), *सिडा कॉर्डिफोलिया* (खारिंटा), *सोलनम इंकानम* (थ्रोन एप्पल), *स्टेलेरिया मीडिया* (बुच-बुचा), *टेकोमेल्ला अंडुलाटा* (रोहिदा), *ट्रागुस रोक्बुरगही* (इंडियन बूर ग्रास), *ट्रपा बिस्पिरटोसा* (इंडियन वॉटर चेस्टनट), *ट्राइडैक्स प्रोकुम्बेनस* (कोट्टबूटन), *वालिसिरिया सर्पिलिस* (एल्ग्रास), *विथानिया सोमनिफेरा* (अश्वगंध), *वरिघटिया टन्क्टरिया* (मितेंदरजु कपार), *जोरनिया गिब्बोसा* (ग्रास्सलिक जोरनिया), आदि हैं;

और, उक्त अभयारण्य में मुख्य जीवजन्तुओं में ब्लू बुल एवं नीलगाय *(बोसेलाफ़ुस ट्रागोकेमेलुस),* कराकल *(फेलिस कराकल),* हनुमान लंगुर *(प्रेस्बयटीस इंटेल्लुस),* सामान्य नेवला *(हरपेस्टेस अयरोपुंकफाटुस),* सामान्य पाम सिविट *(परादोक्उरूस हेरम्फरोदीटुस),* इंडियन गजेल्ला और चिंकारा *(गजेल्ला गजेल्ला),* तेंदुआ *(पैंथेरा पार्डस),* सांभर *(करवुस यूनीकोर्लर),* चित्तीदार हिरण *(एक्सिस एक्सिस),* भारतीय लोमड़ी *(वुल्प्स बेंगलेंसिस),* भारतीय साही *(हायट्रीक्स इंडिका),* चित्तीदार लकड़बग्घा (*हैना हैना*), बैंडिड करैत *(बुंगरूस फेस्कितुस),* कोबरा *(नाजा नाजा),* दलदल मगरमच्छ *(करोकोदयलुस पलुस्ट्रीस),* इंडियन पायथन(*पायथन मूलयरूस*), उत्तर भारतीय फ्लैप कछुआ (*लिससेमिस पुंसताते पुंसताते),* रूसेल्लस सांप *(पिपेरा* रूसेल्ली*),* सामान्य भारतीय टोड *(बुफो मेलानोस्टीकटुस),* सामान्य मेंढक *(राना टीगेरीना),*बिटा *(लबेओ रोहीता),* महसेर *(टोरटोर स्पा.),* शैन्गरी *(मयस्टुस सैंघाला)* आदि शामिल हैं। जमवारामगढ़ वन्यजीव अभयारण्य से मुख्य पक्षी प्रजातियां एलैक्सज़ेंडिरेन पाराकैट *(पसिअट्राकुला इयपटरिया),* एश क्रिज्ड फिंच-लार्क *(इरेमोपटेरीक्स गरिसेया),* एश वारेन वार्बलर *(परिनिया सोसिलीस),* बर्न ओवन *(टयटो अल्बा),* ब्लैक बेल्लीइड ट्रर्न *(स्टेर्ना अयकुटीकउदा),* ब्लैक बरेअस्टेड क्यूइल

(कोटुरनीक्स कोरोमेंदेलिका), ब्लैक कैप्ड किंगफिशर *(हलको पिलेअटा),* ब्लैक ईगल **(***इचटीनाइटुस माल्यैंसिस पेरनिगर***),** ब्लैक नेक्ड स्ट्रोक *(किकोनिया निगरा***),** ब्लैक थ्रोटेड थ्रश *(मिंटीकोला सोलिटरिअस),* क्रस्टेड बुंटीग *(मेलोफुस लथमि***),** क्रो पिज़ेंट **(***केंटरोफुस सिनेंसिस),* ग्रे हेरोन*(अरेदेस किनेरिया***),**ग्रे वैगटेल *(मोटकील्ला इस्पिका),* गुल्ल बिल्लड टेरन *(गेलोचेलीदों निलोटीका),* इंडियन शैग *(फलाकरोकोरक्स फुकिकोल्लीस),*लिटिल रिंग पलोवेर *(चरादरीउस दुबिउस),* लांग बिल्लड वुल्चर *(गपस इंडिकस),* मोर *(पावो क्रिरस्टटुस),* पर्पल सनबर्ड*(नेकटरिनिया असिएटिका),* रेड विस्केरेड बुलबुल **(***पयकनोनोटुस जोकोसुस),* रिंग कबूतर *(स्ट्रेप्टोपेलिया देकक्टुस),* तुफ्टेड बत्तख *(अनयहय फुल्लगुला),* वेरदीटेर फ्लैकेचर *(मुसकिकापा थालास्सिया),* विस्केरेड टर्न *(चिलदेनिया हायब्रिड),* वाइट ब्लैक गिद्ध *(गप्स बेंगाल्नोइस),* येलो थ्रोट स्पैर्रोव *(पटरोनिया क्रथरोकोल्लीस),* और यल्लौ वाट्टेलेड लपविंग *(वनेल्लूस मालाबरिकस***)**, आदि अभिलिखित हैं;

और, यह भी कई दुर्लभ, स्थानिक और संकटापन्न प्रजातियों का वास है जिसमें *बरलेरिया परिओनिटीस* सुब्स्प**.** *परिओनिटीस* वार. *डीकंठा* (पारक्यूपाइन फ्लावर), *संचरस प्रियउरी* (कुण्ठ) वर. *स्काब्र*, *कोम्मीफोरा विघटी* (गुग्गुल), *मोरिंगा कोनकनेसिस* (जंगली सरगुआ), *टेकोमेल्ला उन्दुलाते* (मारवाड़ टीक), *विथानिआ कागुलेन्स* (पनीर फूल), *स्टेरक्युलिया उरेन्स* रोक्सब. (इंडियन तरागकंठ), *मेल्हानिया फुट्टीपोरेन्सिस* (वागडौ खपत), *ग्लोरिओसा सुपर्बा* (क्लाइम्बिंग लिली), आदि शामिल हैं;

और, अभयारण्य क्षेत्र में लगभग 83 ग्राम स्थित हैं जिसके कारण अभयारण्य पर लगातार जैविक दबाव बना रहता है और इस दबाव के परिणामस्वरूप पेड़ों की अवैध कटाई, वन भूमि पर अतिक्रमण, अवैध चराई, अवैध खनन और जंगल में आग लगने की घटनाएं होती हैं, इसलिए, जमवारामगढ़ अभयारण्य की जैव-विविधता को संरक्षित करने के लिए, अभयारण्य के निकटवर्ती क्षेत्रों को, पारिस्थितिकी और पर्यावरण के संरक्षण के दृष्टिकोण से, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में संरक्षित और सुरक्षित किया जाना आवश्यक है।

और, जमवारामगढ़ वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाऐं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पर्यावरण की दृष्टि से पारिस्थितिक संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना और उक्त पारिस्थितिक संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्गो के प्रचालन और प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, इसलिए, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान राज्य के जयपुर जिला में जमवारामगढ़ वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 100 मीटर से 1 किलोमीटर तक विस्तारित क्षेत्र को जमवारामगढ़ वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :--

1. **पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और सीमाएं**--(1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार जमवारागढ़ वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर 100 मीटर से 1 किलोमीटर तक विस्तृत है और पारिस्थितिकी संवेदी जोन का क्षेत्र 77.56 वर्ग किलोमीटर है।

(2) जमवारागढ़ वन्यजीव अभयारण्य और पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण **उपाबंध I** में दिया गया है।

(**3**) सीमा विवरण तथा अक्षांशों एवं देशांतरों के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र **उपाबंध-II क-ग** के रुप में उपाबद्ध है।

(4) जमवारागढ़ वन्यजीव अभयारण्य और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भू-निर्देशांक **उपाबंध III** के सारणी **क** और सारणी **ख** में दिए गए हैं।

(5) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची **उपाबंध IV** के रूप में उपाबद्ध हैं ।

2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना – (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।

(2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना ऐसी रीति से जो इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए गए है के अनुसार तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के अनुरुप और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी ।

(3) आंचलिक महायोजना, उक्त योजना में पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय बातों को समाकलित करने के लिए राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से तैयार होगी, अर्थात्:--

(i) पर्यावरण विभाग;
(ii) वन;
(iii) शहरी विकास;
(iv) पर्यटन;
(v) नगर निगम;
(vi) सिंचाई;
(vii) लोक निर्माण विभाग;
(viii) राजस्व विभाग;
(ix) राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।

(4) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो और आचंलिक महायोजना सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों में जो अधिक दक्षता और पारिस्थितिकी अनुकूल हों का संवर्धन करेगी ।

(5) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलुओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे ।

(6) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान बागवानी क्षेत्र, फलोउद्यान, झीलों और अन्य जल निकायों और मानचित्र के समर्थन के साथ भी सीमाकंन करेगी और इस योजना के मानचित्र के द्वारा समुचित विद्यमान और प्रस्तावित भूमि उपयोग विशेषताओं को ब्यौरे होगा ।

IndiaCode

(7) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन में विकास को विनियमित करेगी और सारणी में सूचीबद्ध प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों का अनुपालन करेगी और स्थानीय समुदायों के पारिस्थितिकी अनुकूल विकास के लिए जीवकोपार्जन को सुरक्षित करने के लिए सुनिश्चित किया जा सकेगा।

(8) उक्त महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन में विकास को इस प्रकार विनियमित करेगी जिससे स्थानीय समुदायों की आजीविका की सुरक्षा के लिए पारिस्थितिकी अनुकुल विकास को सुनिश्चित किया जाएगा।

(9) इस प्रकार अनुमोदित आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार निगरानी के अपने कार्यों को करने के लिए निगरानी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज तैयार करेगी ।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय.-** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:--

(1) **भू-उपयोग.-** (क)पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, बागवानी क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, मनोरंजन के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक या वृहद आवासीय काम्प्लैल्क्स या औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा:

परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर, भाग (क) में विनिदिष्ट उदेश्य के अलावा कृषि भूमि का संपरिवर्तन, निगरानी समिति की सिफारिश पर और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, स्थानीय निवासियों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए और क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात होंगे, जैसे:-

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण;

(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) कुटीर उद्योगों जिनके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग भी हैं; सुविधाजनक भण्डार और स्थानीय सुविधाओं सहायक पारिस्थितिक पर्यटन में सम्मिलित गृह वास; और

(v) संवर्धित क्रियाकलाप और पैरा 4 के अंतर्गत दिया गया है:

परंतु यह और भी कि क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम और राज्य सरकार के अन्य नियमों और विनियमों के अंतर्गत और संविधान के अनुच्छेद 244 और तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई त्रुटि, निगरानी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी:

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त त्रुटि का संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा:

परंतु यह और भी कि हरित क्षेत्र में जैसे वन क्षेत्र और कृषि क्षेत्र में कोई पारिणामिक कटौती नहीं होगी:

(ख) अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे ।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोतों.-** आचंलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक स्रोतों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और पुनरुद्भूतकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध करने के लिए ऐसी रीति से मार्गनिर्देश तैयार किए जाएंगे ।

(3) **पर्यटन.-** (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पारिस्थितिक पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना के अनुसार आंचलिक महायोजना के लिए होगा ।

(ख) पर्यटन महायोजना राज्य पर्यटन विभाग द्वारा राज्य पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से तैयार होगी ।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना के एक घटक के रूप में होगी ।

(घ) पारिस्थितिक पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नलिखित अधीन विनियमित होंगे, अर्थात् :-

(i) जमवारामगढ़ अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, नये होटल और रिसोर्ट का निर्माण अनुज्ञात नहीं होंगे:

परंतु, वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक होटलों और रिसोर्ट का स्थापन केवल पूर्व परिनिश्चित क्षेत्रों में पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिक पर्यटन सुविधाओं के लिए ही अनुज्ञात होगा;

(ii) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पारिस्थितिकी पर्यटन पर जोर देते हुए केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के द्वारा तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी पारिस्थितिक पर्यटन (समय-समय पर यथा संशोधित) मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, होगा;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा निगरानी समिति की सिफारिश पर सम्बद्ध विनियामक प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और किसी नए होटल/रिर्सोट या वाणिज्यिक स्थापनों के संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी ।

(4) **नैसर्गिक विरासत.-** पारिस्थितिक संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातो आदि की पहचान की जाएगी और उन्हें संरक्षित किया जाएगा तथा उनकी सुरक्षा और संरक्षा के लिए इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर, उपयुक्त योजना बनाएगी और ऐसी योजना आंचलिक महायोजना का भाग होगा ।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल.-** पारिस्थितिक संवेदी जोन में में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों और उपक्षेत्रों की पहचान की जाएगी और इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर उनके संरक्षण की योजनाएं तैयार करनी होंगी तथा ऐसी योजना आंचलिक महायोजना में सम्मिलित की जाएगी ।

(6) **ध्वनि प्रदूषण.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण का पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986, के अधीन ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम 2000 के अनुसार अनुपालन किया जाएगा ।

(7) **वायु प्रदूषण.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) के उपबंधों के अनुसार अनुपालन किया जाएगा ।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण.-** पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार होगा ।

(9) **ठोस अपशिष्ट.-** ठोस अपशिष्टों का निपटान और प्रबंधन निम्नलिखित रूप में होगा—

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), तारीख 8 अप्रैल, 2016 ठोस अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ;

(ii) स्थानीय प्राधिकरण जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय संघटकों में ठोस अपशिष्टों के संपृथक्कन के लिए योजनाएं तैयार करेंगे ;

(iii) जैव निम्नीकरणीय सामग्री को अधिमानतः खाद बनाकर या कृमि खेती के माध्यम से पुनःचक्रित किया जाएगा ;

(iv) अकार्बनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिक संवेदी जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में होगा।

(10) **जैव चिकित्सीय अपशिष्ट.-** पारिस्थितिक संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं. सा. का. नि. 343 (अ) तारीख 28 मार्च 2016 द्वारा यथा संशोधित प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध नियम 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(12) **संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंध भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सा.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(13) **ई–अपशिष्ट.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई–अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित ई–अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **यानीय परिवहन.-** परिवहन की यानीय संचालन आवास के अनुकूल रीति में विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विनिर्दिष्ट उपबंध समाविष्ट किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा के अनुमोदित होने तक, निगरानी समिति सुसंगत अधिनियमों तथा तदधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अधीन यानीय संचलन के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(15) **यानीय प्रदूषण.-** लागू विधियों के अनुसार वाहन प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण का अनुपालन किया जाएगा और स्वच्छक ईंधन उदाहरण के लिए सीएनजी, एलपीजी आदि के उपयोग के लिए प्रयास किए जाएगे ।

IndiaCode

(16) **औद्योगिक ईकाइयां.-** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर किन्ही नए प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी दिशा मार्गदर्शक सिद्धांन्तों में उद्योगो के वर्गीकरण के अनुसार केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों की अनुज्ञा दी जाएगी, जब तक कि इस अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो और इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों का संवर्धन किया जाएगा।

(17) **पहाड़ी ढलानों को संरक्षण.-** पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) आंचलिक महायोजना में पहाड़ी ढलानों पर क्षेत्रों को उपदर्शित किया जाएगा जहां किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी ।

(ख)कटाव के एक उच्च डिग्री के साथ विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों या ढलानों पर किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी ।

4. पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची - पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :-

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टीका-टिप्पणीयां
	क.प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप	
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर की खदान और उनको तोड़ने की इकाइयां ।	(क) सभी प्रकार के नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानें और उनको तोड़ने की इकाइयां वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें निजी उपयोग के लिए मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना और मकान बनाने के लिए देशी टाइल्स या ईंटों का निर्माण करना भी सम्मिलित है, के सिवाय नहीं होंगी ; (ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत सरकार के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत सरकार के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के आदेश के अनुसरण में प्रचालन होगा । (ग) राज्य सरकार टी.एन. गोदावर्मन थिरुमुलपद बनाम यूओआई, अगर कोई है के मामले में 1995 के डब्ल्यू.पी.(सी) सं. 202 में आईए सं. 1000 में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का पालन करेगी।
2.	प्रदूषण (जल या वायु या मृदा या ध्वनि) कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना ।	(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में नए उद्योग और उद्योगों में विद्यमान प्रदूषण का विस्तार अनुज्ञा नहीं होगी।

		(ख) फरवरी, 2016 में जब तक कि इस प्रकार अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर केवल गैर- प्रदूषण कुटीर उद्योगों की अनुज्ञा दी जाएगी।
3.	बृहत तापीय और बृहत जल विद्युत परियोजना की स्थापना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन या प्रसंस्करण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या क्षेत्र भूमि में अनुपचारित बहिर्स्राव का निस्सारण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
6.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
7.	ईंट भट्ठों की स्थापना करना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
ख.विनियमित क्रियाकलाप		
8.	वाणिज्यिक होटलों और रिसोर्टों की स्थापना ।	पारिस्थितिक पर्यटन क्रियाकलापों संबंधी लघु अस्थायी संरचनाओं के सिवाय संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, नए वाणिज्यिक होटल और विश्राम स्थलों को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु, पारिस्थितिक संवेदी जोन के आगे या उसके विस्तार तक, जो भी निकट हो के संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर से सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलाप का विस्तार पर्यटन महायोजना और यथा लागू मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरुप होगा।
9.	संनिर्माण क्रियाकलाप ।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, किसी भी प्रकार के नये वाणिज्यिक संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी: परंतु स्थानीय लोगों को अपनी आवास सम्बन्धी निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित अपने प्रयोग के लिए, अपनी भूमि में भवन उप-विधियों के अनुसार, संनिर्माण करने की अनुज्ञा होगी। (ख) गैर–प्रदूषणकारी लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से विनियमित किए जाएंगे और वे न्यूनतम होंगे । (ग) एक किलोमीटर क्षेत्र से आगे ये आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे ।

10.	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग ।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों में वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग और अपरिसंकट में, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, उद्यान कृषि या पारिस्थितिक संवेदी जोन से देशी सामग्री से उत्पादों को उत्पन्न करने वाले कृषि आधारित उद्योग सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।
11.	वृक्षों की कटाई ।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में वृक्षों की कटाई नहीं होगी । (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगे ।
12.	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण (एनटीएफपी) ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
13.	विद्युत और दूरसंचार टावरों का परिनिर्माण और केबल बिछाना और अन्य बुनियादी ढांचे ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे (भूमिगत केबल बिछाए जाने को प्रोत्साहित जाएगा)।
14.	नागरिक सुख सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचे।	लागू विधियों के अनुसार न्यूनीकरण उपायों नियम, विनियमन और उपलब्ध दिशानिर्देशों के साथ किए जाएंगे।
15.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना तथा नवीन सड़कों का संनिर्माण ।	लागू विधियों के अनुसार न्यूनीकरण की उपायों के साथ, नियम, विनियमन और उपलब्ध दिशानिर्देशों के साथ विनियमित होंगे।
16.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे गर्म वायु गुब्बारें, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइटस आदि द्वारा पारिस्थितिक संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
17.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
18.	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन ।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे ।
19.	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ दुग्ध उद्योग, दुग्ध उद्योग, कृषि और मछली पालन ।	स्थानीय लोगों के उपयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होंगे ।
20.	फर्मों, कंपनियों आदि द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन संपदा और कुक्कुट फार्मों की स्थापना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
21.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्स्राव का निस्सारण ।	उपचारित जल निकायों में बहिर्स्राव के अपशिष्ट जल निस्सारण से बचा जाएगा और उपचारित अपशिष्ट जल के पुन:चक्रण और पुन:उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे और अन्यथा लागू विधियों के अनुसार उपचारित बहिर्स्राव के पुनर्चक्रण/प्रवाह के निर्वहन को विनियमित किया जाएगा।
22.	सतह और भूजल का वाणिज्यिक	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।

	निष्कर्षण ।	
23.	खुले कुंआ, बोर कुंआ, आदि कृषि और अन्य उपयोग के लिए ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे और सम्बद्ध प्राधिकारी द्वारा क्रियाकलापों की सख्ती से निगरानी की जाएगी।
24.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
25.	विदेशी प्रजातियों को लाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
26.	पारिस्थितिक पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
27.	पोलिथीन बैगों का उपयोग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
28.	वाणिज्यिक साइन बोर्ड और होर्डिंग्स ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
ग.संवर्धित क्रियाकलाप		
29.	वर्षा जल संचयन ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
30.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
31.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
32.	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर भी हैं ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
33.	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत और ईंधन का उपयोग ।	बायोगैस, सौर प्रकाश इत्यादि को सक्रिय रुप से बढ़ावा दिया जाएगा।
34.	कृषि वानिकी ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
35.	बागान लगाना और जड़ी बूटियों का रोपण ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
36.	पारिस्थितिकी अनुकूल परिवहन का उपयोग ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
37.	कौशल विकास ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
38.	निम्नीकृत भूमि या वन या का जीर्णोद्धार ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
39.	पर्यावरणीय जागरुकता ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।

5. निगरानी समिति.- केंद्रीय सरकार, अंतिम अधिसूचना के प्रावधानों के प्रभावी मानीटरी के लिए एक मानीटरी समिति का इस अधिसूचना के तीन माह के अंतर्गत गठन करेगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

क्र.सं.	**निगरानी समिति का गठन**	**पद**
1.	जिला कलक्टर, जयपुर	-अध्यक्ष;
2.	उप-प्रभागीय अधिकारी, जामवारमगढ़	–सदस्य;
3.	माननीय वन्यजीव वार्डन, जयपुर	–सदस्य;
4.	प्रधान, पंचायत समिति, आमेर	–सदस्य;
5.	राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में काम कर रहे गैर-सरकारी संगठन का एक प्रतिनिधि	–सदस्य;
6.	राज्य सरकार द्वारा नामित जैव विविधता में एक विशेषज्ञ	–सदस्य;
7.	प्रतिष्ठित संस्थान या राज्य के विश्वविद्यालय से पारिस्थितिकी में एक विशेषज्ञ	–सदस्य;

8.	वन वन्यजीव का उप-संरक्षक, जयपुर	–सदस्य-सचिव।

6. निर्देश–निबंधन:- (1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी।

(2) निगरानी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष तक या राज्य सरकार द्वारा नई समिति के पुन: गठन तक के लिए होगा और बाद में निगरानी समिति राज्य सरकार द्वारा गठित की जाएगी।

(3) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण अनापत्ति के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी।

(4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(5) निगरानी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध उप-आयुक्त ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा।

(6) निगरानी समिति मुद्दा दर मुद्दा के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(7) निगरानी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक की अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्य जीव वार्डन को **उपाबंध V** में उपबंधित रूप विधान के अनुसार उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय निगरानी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

7. **अतिरिक्त उपाय.-** इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगे ।

8. उच्चतम न्यायालय का आदेश, आदि.- इस अधिसूचना के उपबंध, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन होंगे ।

[फा. सं. 25/02/2018-ईएसजेड]

डॉ. सतीश चन्द्र गढ़कोटी, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध-I

जमवारामगढ़ अभयारण्य संरक्षित क्षेत्र के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण

पूर्व-दक्षिणी सीमा: पारिस्थितिकी संवेदी जोन की पूर्वी सीमा वन खंड देगोटा-61 और कनीखोर-62 के दक्षिणी बिंदु की साझा सीमा से आरंभ होती है। यह इस बिंदु अर्थात संकोतरा ग्राम से 100 मीटर दूर है। पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा पतलवास, भवानी, खारद, रामपुरा, घोरेथ, रायपुर, अस्थल का बास, बौदी (जरुन्दा) खवा, पलादी खुर्द, खरकदा, पलादी कलान, गोथ पलादी, सरजोली, बुज, मनोता, दोदादुन्गर ग्रामों में अभयारण्य की सीमा से 100 मीटर दूर होगी।

दक्षिण-पश्चिमी सीमा: पारिस्थितिकी संवेदी जोन की दक्षिणी सीमा दोदादुन्गर, रामपुरा, धानी अरजशाला ग्रामों की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी पर आरंभ होती है। वहां से दिपोला ग्राम तक, पारिस्थितिकी संवेदी जोन वन सीमा से 100-200 मीटर दूर होगा और इसके बाद धानी सिरा को छोड़कर, जमवारामगढ़ से रवला तालाब तक, पारिस्थितिकी संवेदी जोन अभयारण्य की सीमा से 100 मीटर दूर होगा। वहां से ग्राम लरपतियावास, चुगलपुरिया, कोलियाना, पाली, बिसोरी, नांगल तुलसीदास, घाटा जलधारी, बसना, तोदामीना तक पारिस्थितिकी संवेदी जोन अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी पर होगा।

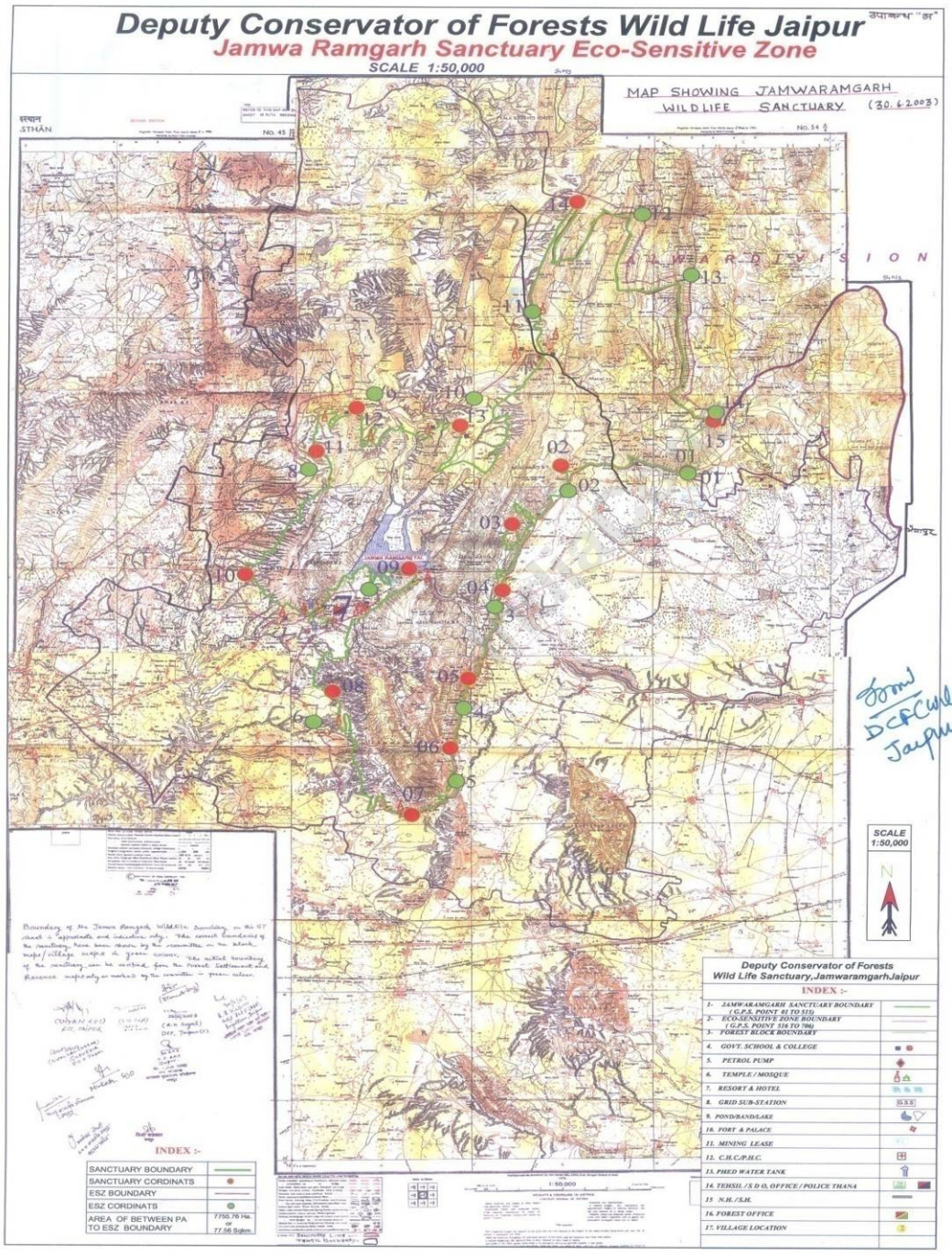
पश्चिम-उत्तरी सीमा: पारिस्थितिकी संवेदी जोन ग्राम तोदामीना से भावगढ़, गोदिआना, समरेद खुर्द, राइसर, जोजाराला तक अभयारण्य सीमा से एक किलोमीटर दूर होगा। वहां से, लुनेटा ग्राम के खनन क्षेत्र तक पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा लगभग 2 किलोमीटर तक 100 मीटर से की दूरी पर होगी। इसके बाद बहलोद, जयसिंहपुरा, चिलपली, केला का बास ग्राम से, वन सीमा स्तंभ संख्या 118 तक, पारिस्थितिकी संवेदी जोन अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी पर होगा।

उत्तर- पूर्वी सीमा: केला का बास ग्राम से वन खंड देगोटा-61 के आरंभिक बिंदु, जो कि अलवर जिले में है, तक पारिस्थितिकी संवेदी जोन अभयारण्य की सीमा से 500 मीटर दूर होगा।

IndiaCode

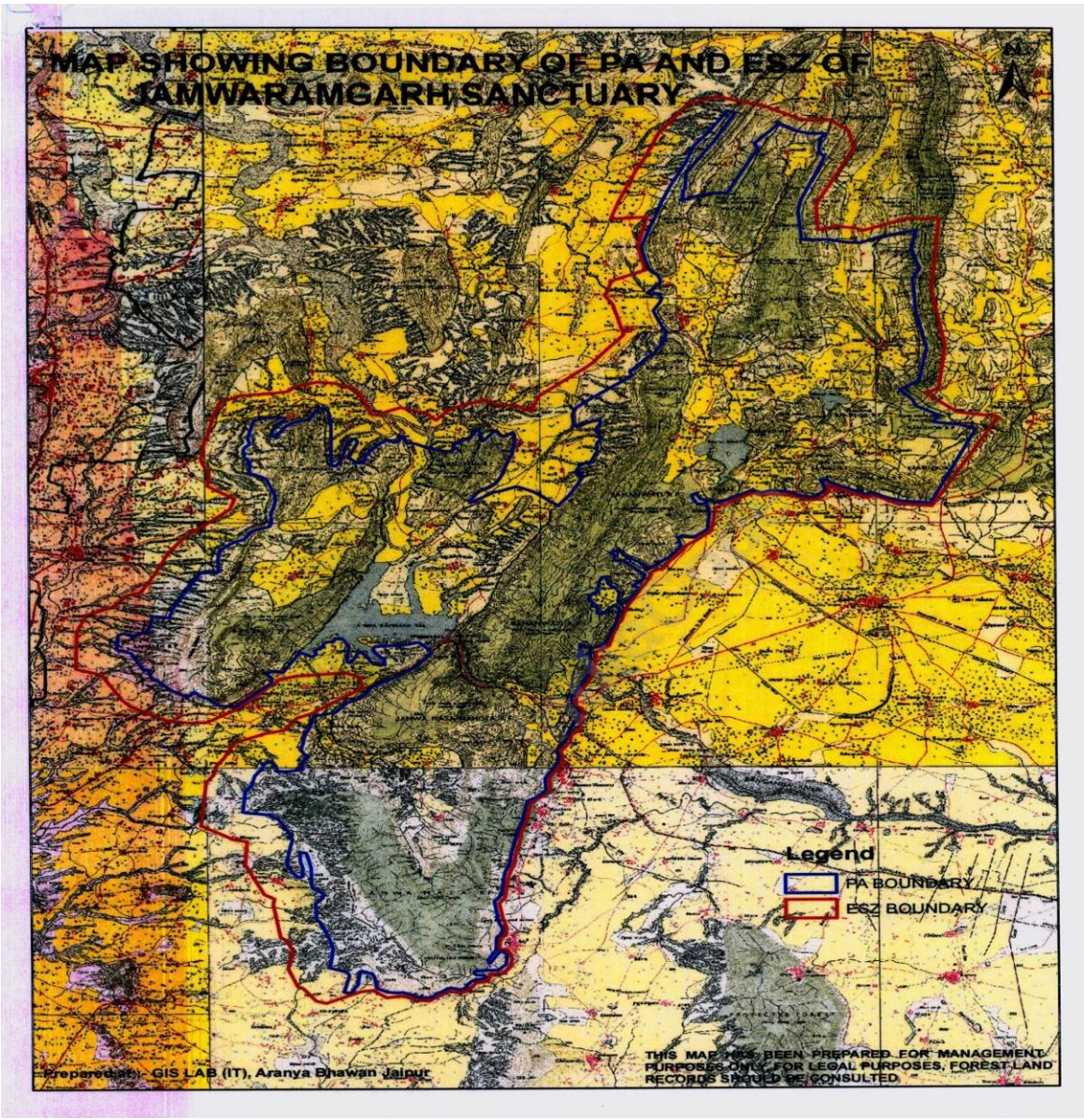
उपाबंध-IIक

मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ जमवारामगढ़ अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र



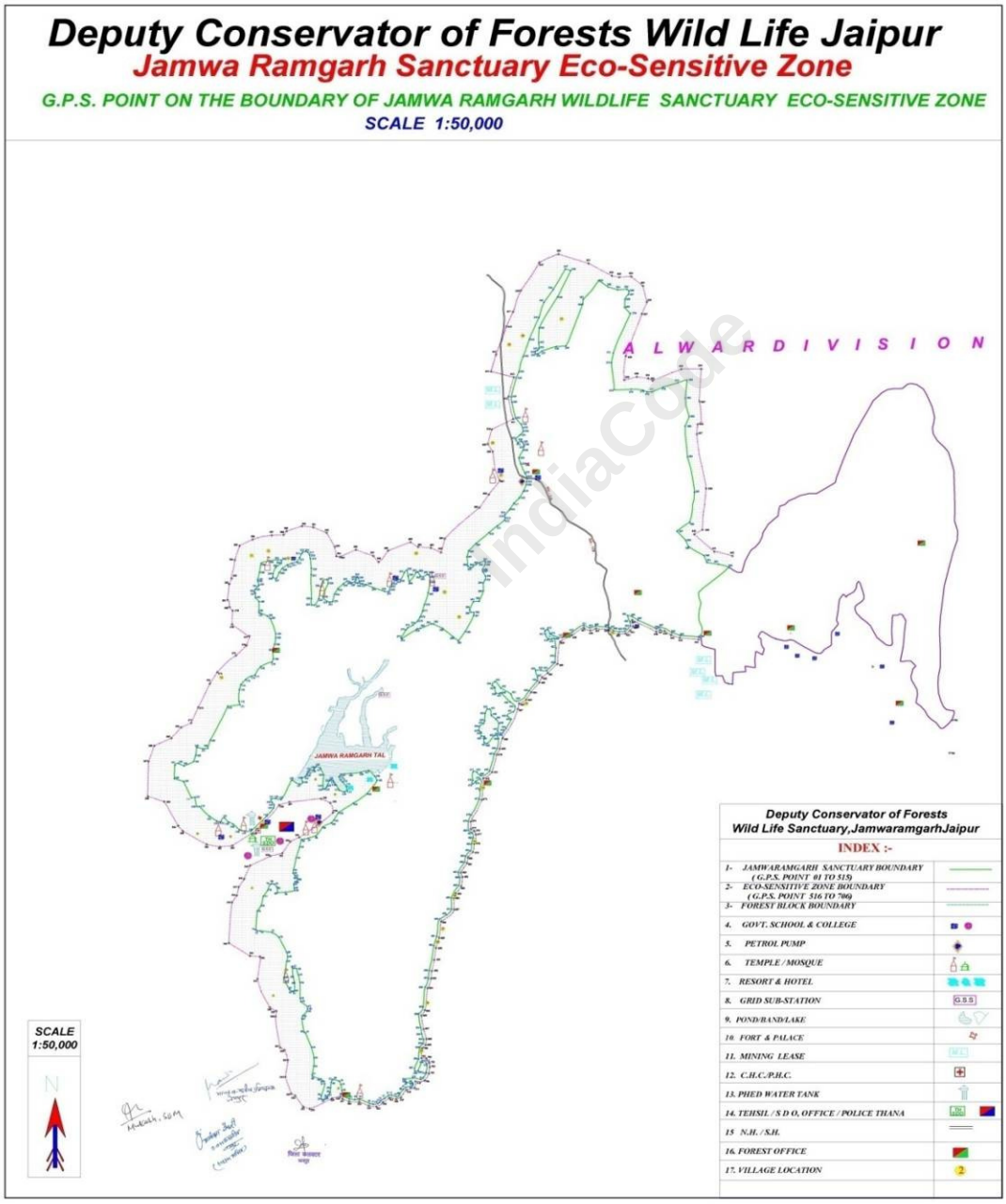
उपाबंध-IIख

जमवारामगढ़ अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का जीआईएस मानचित्र



उपाबंध-IIग

मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ जमवारामगढ़ अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र



उपाबंध-III

सारणी क: जमवारामगढ़ अभयारण्य के मुख्य अवस्थानों के भू-निर्देशांक

क्र. सं.	उत्तर	पूर्व
1.	उ 27° 05’ 24.0”	पू 76° 10’ 49.3”
2.	उ 27° 05’ 35.6”	पू 76° 07’ 20.5”
3.	उ 27° 03’ 52.1”	पू 76° 05’ 59.2”
4.	उ 27° 01’ 54.7”	पू 76° 05’ 43.6”
5.	उ 26° 59’ 18.9”	पू 76° 04’ 47.1”
6.	उ 26° 57’ 15.4”	पू 76° 04’ 16.6”
7.	उ 27° 55’ 17.8”	पू 76° 03’ 12.8”
8.	उ 27° 58’ 56.9”	पू 76° 01’ 04.0”
9.	उ 27° 02’ 33.4”	पू 76° 03’ 10.2”
10.	उ 27° 02’ 24.7”	पू 75° 58’ 40.5”
11.	उ 27° 06’ 00.6”	पू 76° 00’ 39.7”
12.	उ 27° 07’ 19.6”	पू 76° 01’ 45.8”
13.	उ 27° 06’ 48.1”	पू 76° 04’ 36.4”
14.	उ 27° 13’ 25.5”	पू 76° 07’ 49.8”
15.	उ 27° 06’ 53.1”	पू 76° 11’ 29.3”

सारणी क: पारिस्थितिकी संवेदी जोन के मुख्य अवस्थानों के भू-निर्देशांक

क्र. सं.	उत्तर	पूर्व
1.	उ 27° 05’ 20.5”	पू 76° 10’ 50.2”
2.	उ 27° 04’ 50.3”	पू 76° 07’ 33.6”
3.	उ 27° 01’ 25.7”	पू 76° 05’ 31.5”
4.	उ 26° 58’ 25.5”	पू 76° 04’ 39.0”
5.	उ 26° 56’ 17.5”	पू 76° 04’ 20.2”
6.	उ 26° 58’ 02.5”	पू 76° 00’ 33.5”
7.	उ 27° 01’ 56.9”	पू 76° 02’ 03.9”

IndiaCode

8.	उ 27° 05’ 29.9”	पू 76° 00’ 26.2”
9.	उ 27° 07’ 43.8”	पू 76° 02’ 14.9”
10.	उ 27° 07’ 35.0”	पू 76° 04’ 58.9”
11.	उ 27° 10’ 10.1”	पू 76° 06’ 35.4”
12.	उ 27° 13’ 02.3”	पू 76° 09’ 37.5”
13.	उ 27° 11’ 13.4”	पू 76° 10’ 57.4”
14.	उ 27° 07’ 09.0”	पू 76° 11’ 49.1”

उपाबंध-IV

जमवारामगढ़ अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्राम क्षेत्र की सूची

क्र. सं.	**ग्राम का नाम**	**क्र.सं.**	**ग्राम का नाम**
1	संकोटदा	31	नांगल तुलसीदास
2	पतल का बास	32	घाटा जलधारी
3	भावनी	33	बसना
4	खरद	34	तोदा मीना
5	हरामपुर	35	भाव गढ़
6	घोरेथ	36	गोदियाना
7	रायपुर	37	समरेद खुर्द
8	अस्थल का बास	38	रायसर
9	झरुंदा	39	जोजराला
10	खावा	40	लुनेता
11	पलादी खुर्द	41	केला का बास
12	खरकडा	42	बहलोद
13	पलादी कला	43	जयसिंगपुरा
14	सरजोली	44	छवा का बास
15	बुज	45	लालपुरा

IndiaCode

16	मनोता	46	पलासना
17	झोल	47	गुवारा-जोगैन
18	दोदादुन्गर	48	लोथा का बास
19	पापड	49	गुरवा नाल
20	रामपुरा	50	जैतपुर गुजरान
21	जमवारामगढ़	51	निताता
22	मेघराजसिंगपुरा		
23	बिशनपुरा		
24	नयाबास		
25	नरपतियाबास		
26	बदियावाला		
27	चुगलपुरा		
28	कोलियाना		
29	पाली		
30	बिसोरी		

IndiaCode

उपाबंध- V

पारिस्थितिकी संवेदी जोन निगरानी समिति - की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबद्ध करें ।
3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना भी है।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश । (पारिस्थितिकी संवेदी जोन-वार) ब्यौरे उपाबंध के रूप में संलग्न किए जाएं ।
5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किए जाएं ।
6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों की संवीक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किए जाएं ।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th December, 2018

S.O. 6212(E).—WHEREAS, a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide notification of the Government of the India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 507(E), dated the 2nd February, 2018, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

AND WHEREAS, copies of the Gazette containing the said draft notification were made available to the public on the 5th February 2018;

AND WHEREAS, no objections or suggestions were received from persons and stakeholders in response to the draft notification;

AND WHEREAS, the Jamwaramgarh Wildlife Sanctuary is situated in Aravalli hills near Jaipur city of Rajasthan which is very old Sanctuary surrounded on Northern side by Manoharpur Dausa Mega Highway and by the forest area of Range Bassi on south eastern side; the Sanctuary was notified as Wildlife Sanctuary by the Government of Rajasthan *vide* notification no. F.11 (19) raj.-8/01, dated the 31st May, 1982 and the total area of the Sanctuary is **300 square kilometers**;

AND WHEREAS, the various forest types found in Jamwaramgarh Wildlife Sanctuary, Jaipur (Rajasthan) are *Anogeissus pendula* forest, *Acacia catechu* forest, *Boswellia serrata* forest, *Butea monosperma* forest, Forests along nalllahs, Scrub forest; there are more than 350 plant types found in the Sanctuary, some of which are *Abrus precatorius* (Indian licorice), *Acrachne racemosa* (chinkhe), *Abutilon auritum* (Indian mallow), *Ammannia aegyptiaca* (blistering ammannia), *Albizia lebbeck* (siris tree), *Aristida funiculata*, *Azadirachta indica* (neem), *Azolla filiculoides* (feathered waterfern), *Balanites aegyptiaca* (desert date), *Bergia aestivosa, Blepharis molluginifolia* (creeping blepharis), *Cassia angustifolia* (Indian senna), *Cassia fistula* (amaltas), *Cenchrus ciliaris* (buffel-grass), *Cenchrus setigerus* (cow sandbur), *Citrullus colocynthis* (colocynth), *Cocculus hirsutus* (Patalgarudi), *Commicarpus chinensis* (diffuse hogweed), *Crypsis schoenoides* (wamp pricklegrass), *Cyperus iria* (Iria flatsedge), *Digitaria longiflora* (Itchy crabgrass), *Diospyros melanoxylon* (coromandel ebony), *Echinochloa colona* (jungle rice), *Eclipta alba* (Eclipta prostrata), *Euphorbia serpens* (matted sandmat), *Flacourtia indica* (ramontchi), *Grewia tiliifolia* (dhaman), *Heliotropium marifolium* (seaforth), *Jatropha curcas* (jatropha), *Justicia procunrbens* (tarangambadi), *Laggera aurita*, *Launaea asplenifolia* (jangi gobi), *Lepidugathis cristata* (bukhar jadi), *Lindenbergia macrostachya* (lindenbergia), *Melilotus indica* (sweet-clover), *Nerium indicum* (oleander), *Phoenix sylvestris* (wild date palm), *Parthenium hysterophorus* (santa-maria), *Pentanema indicum (*bichhloo), *Phyllanthus emblica* (Indian gooseberry), *Pupalia lappacea* (nagadaminee), *Rumex dentatus* (toothed dock), *Scirpus royleana* (bhadhrun), *Scyzium cumini* (jambolan), *Sesamum indicum* (sesame), *Sida cordifolia* (kharinta), *Solanum incanum* (thorn apple), *Stellaria media* (buch-bucha), *Tecomella undulata* (rohida), *Tragus roxburghii* (Indian bur grass), *Trapa bispirtosa* (Indian water chestnut), *Tridax procumbens* (coatbuttons), *Valisneria spiralis* (eelgrass), *Withania somnifera* (ashwagandha), *Wrightia tinctoria* (mitaindarjau kapar), *Zornia gibbosa* (grasslike zornia); etc.

AND WHEREAS, major fauna of the said sanctuary includes blue bull or nilgai (*Boselaphus tragocamelus),* caracal (*Felis caracal),* hanuman langur (*Presbytis entellus), c*ommon mangoose (*Herpestes auropuncfatus),* common palm civet (*Paradoxurus hermphroditus),* Indian gazella or chinkara (*Gazella gazelle),* leopard *(Panthera pardus),* sambar *(Cervus uncolor),* spotted dear *(Axis axis),* Indian fox (*Vulpex bengalensis),* Indian porcupine *(Hystrix indica),* stripped hyaena *(Hyaena hyaena),* banded krait (*Bungarus fasciatus)*, cobra (*Naja naja),*swamp cocordile (*Crocodylus palustris),* Indian python *(Python molurus),* north Indian flap shelled turtle (*Lissemys punctate punctate),* rushell's viper *(Pipera ruselli),* common Indian toad *(Bufo melanostictus),* common frog (*Rana tigerina),* bita (*Labeo rohita),* mahsheer (*Tortor spp.),* sheengari *(Mystus seenghala)* etc. The major bird species recorded from the Jamwaramgarh Wildlife Sanctuary are alexandrine parakeet *(Psiattacula eupatria),* ashy crowned finch-lark *(Eremopterix grisea),* ashy wren warbler *(Prinia socialis),* barn own *(Tyto alba),* black bellied tern *(Sterna aucuticauda),* black breasted quail *(Coturnix coromandelica),* black capped kingfisher (*Halcyon pileata),* black eagle (*Ichtinaetus malyensis perniger),* black necked stork *(Ciconia nigra),* black throated thrush *(Minticola solitaries),* crest bunting *(Melophus lathami),* crow peasant *(Centrophus sinensis),* grey heron *(Ardea cinerea),* grey wagtail *(Motacilla easpica),* gull billed tern *(Gelochelidon nilotics),* Indian shag *(Phalacrocorax fucicollis),* little ring plover (*Charadrius dubius),* long billed vulture *(Gyps indicus),* peafowl *(Pavo cristatus),* purple sunbird *(Nectarinia asiatica),* red whiskered bulbul *(Pycnonotus jocosus),* ring dove *(Streptopelia decaoctus),* tufted duck (*Anyhya fullgula),* verditer flycatcher (*Muscicapa thalassia),* whiskered tern *(Childenias hybrid),* white backed vulture *(Gyps bengalnois),* yellow throat sparrow *(Petronia xanthrocollis)* and yellow wattled lapwing *(Vanellus malabaricus),* etc;

AND WHEREAS, It is also a home to many rare, endemic and threatened species including *Barleria prionitis* subsp. *Prionitis* var. *dicantha* (porcupine flower), *Cenchrus prieurii* (Kunth) var. *scabra*, *Commiphora wightii* (guggul),

Moringa concanensis (jangli sargua), *Tecomella undulate* (marwar teak), *Withania coagulans* (paneer phool), *Sterculia urens* Roxb. (Indian tragacanth), *Melhania futtyporensis* (vagadau khapat), *Gloriosa superba* (climbing lily); etc.

AND WHEREAS, there are as much as 83 villages situated in the aforesaid Sanctuary area which creates a continuous biotic pressure on the Sanctuary resulting in illicit cutting of trees, encroachments on forest land, illicit grazing, and illegal mining and forest fires, therefore, in order to conserve the bio- diversity of the Jamwaramgarh Wildlife Sanctuary, the areas adjoining the Sanctuary are to be protected and conserved as Eco-sensitive Zone from ecological and environmental conservation point of view.

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of which are specified in paragraph 1 of this notification, around the protected area of Jamwaramgarh Wildlife Sanctuary, as Eco-sensitive Zone from ecological, environmental and biodiversity point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub section (l) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent of 100 meter to 1 kilometre around the boundary of Jamwaramgarh Wildlife Sanctuary in the district of Jaipur in the State of Rajasthan as the Jamwaramgarh Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone (hereinafter referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely: -

1. Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone. – (1) The extent of Eco-sensitive Zone varies from **100 meter to 1 kilometre** around the Jamwaramgarh Wildlife Sanctuary and the area of Eco-sensitive Zone is **77.56 square kilometres**.

(2) The boundary description of Jamwaramgarh Wildlife Sanctuary and its Eco-sensitive Zone is given in **Annexure-I.**

(3) The map of the Eco-sensitive Zone along with boundary details and latitudes and longitudes is appended as **Annexure-II A-C.**

(4) The geo-coordinates of Jamwaramgarh Wildlife Sanctuary and its Eco-sensitive Zone are given in Table **A and B** of **Annexure-III.**

(5) The list of villages falling within the Eco-sensitive Zone is appended as **Annexure - IV.**

2. Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone.- (1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of the competent authority in the State.

(2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following State Departments, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan, namely:-

(i) Departments of Environment;

(ii) Forest;

(iii) Urban Development;

(iv) Tourism;

(v) Municipal Corporations;

(vi) Irrigation;

(vii) Public Works Department;

(viii) Revenue Department;

(ix) Rajasthan State Pollution Control Board.

(4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture

IndiaCode

conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies with supporting maps and the Plan shall be supported by maps giving details of existing and proposed land use features.

(7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited and regulated activities listed in the Table in paragraph 4 and also ensure and promote eco-friendly development for livelihood security of local communities.

(8) The Zonal said Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone so as to ensure eco-friendly development for livelihood security of local communities.

(9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

3. Measures to be taken by State Government.- The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) **Landuse.–** (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or residential complex or industrial activities:

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purpose other than that specified at part (a), within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the State Government to meet the residential needs of the local residents, and for activities such as-

(i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;

(ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;

(iii) small scale industries not causing pollution;

(iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and

(v) promoted activities given in paragraph 4:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of the Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph;

Provided also that there shall be no consequential reduction in green area, such as forest area and agricultural area;

(b) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

(2) **Natural water bodies.-**The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) **Tourism.-**

(a) All new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-Sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.

(b) The Tourism Master Plan shall be prepared by the State Department of Tourism in consultation with the State Departments of Environment and Forests.

(c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.

IndiaCode

(d) The activities of tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) no new construction of hotels and resorts shall be permitted within one kilometer from the boundary of the Jamwaramgarh Sanctuary or upto the extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer:

Provided that beyond the distance of one kilometer from the boundary of the Jamwaramgarh Sanctuary till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be permitted only in pre-defined and designated areas for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;

(ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism;

(iii) till the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel or resort or commercial establishment construction shall be permitted within Eco-sensitive Zone area.

(4) **Natural heritage.-** All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation within six months from the date of publication of this notification in the Official Gazette and such plan shall form part of the Zonal Master Plan.

(5) **Man-made heritage sites.-** Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be indentified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared within six months from the date of publication of this notification in the Official Gazette and such plan shall form part of the Zonal Master Plan.

(6) **Noise pollution. -** Prevention and Control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 under the Environment (Protection) Act, 1986 , as amended from time to time.

(7) **Air pollution.-** Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder, as amended from time to time.

(8) **Discharge of effluents. -** Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974) and the rules made thereunder.

(9) **Solid wastes. -** Disposal and management of solid wastes shall be as under:-

(i) the solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016;

(ii) the local authorities shall draw up plans for the suggestion of solid waste into bio-degradable and non bio-degradable components;

(iii) the bio-degradable material shall be recycled preferably through composting or vermiculture;

(iv) the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone.

(10) **Bio-medical waste.–** The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number GSR 343 (E), dated the 28th March, 2016, as amended from time to time.

(11) **Plastic waste management**. - The plastic waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the

Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time**.**

(12) **Construction and demolition waste management. -** The construction and demolition waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.

(13) **E-waste**. - The E- waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, as amended from time to time.

(14) **Vehicular traffic**. – The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the competent authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(15) **Vehicular pollution**. - Prevention and control of vehicular pollution shall be carried out with in accordance with applicable laws and efforts shall be made for use of cleaner fuel for example CNG, etc.

(16) **Industrial units**. – (a) No new polluting industries shall be permitted to be set up within the Eco-Sensitive Zone.

(b) Only non-polluting industries shall be permitted within Eco-sensitive Zone as per classification of industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February 2016, unless so otherwise in this notification and in addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.

(17) **Protection of hill slopes**. - The protection of hill slopes shall be as under:-

(a) the Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted.

(b) no construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall be permitted.

4. List of activities prohibited or to be regulated within Eco-Sensitive Zone.-

All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made thereunder, and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:

TABLE

S. No.	Activity	Remarks
		A. Prohibited Activities
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units shall be prohibited except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing for personal consumption. (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated the 4th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated the 21st April 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012. (c) The State Government shall comply with the directions of the Hon'ble Supreme Court in IA no 1000 in the W.P.(C) No.202 of 1995 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI, if any.

2.	Setting up of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	(a) No new industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive zone shall be permitted. (b) Only non-polluting industries shall be permitted within Eco-sensitive Zone as per classification of industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February 2016, unless otherwise specified in this notification and in addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.
3.	Establishment of major hydroelectric project.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws
6.	Setting of new saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
7.	Setting up of brick kilns.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws
	B. Regulated Activities	
8.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the Protected Area or upto the extent of Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for eco-tourism activities: Provided that, beyond one kilometer from the boundary of the Protected Area or upto the extent of Eco-sensitive Zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
9.	Construction activities.	(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within one kilometer from the boundary of the Protected Area or upto extent of the Eco-Sensitive Zone whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities listed in sub paragraph (1) of paragraph 3 as per building byelaws to meet the residential needs of the local residents. (b) The construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (c) Beyond one kilometer it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
10.	Small scale non polluting industries.	Non polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February 2016 and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority.
11.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the

		provisions of the concerned Central or State Act and the rules made there under.
12.	Collection of Forest Produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated under applicable laws.
13.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable law (underground cabling may be promoted).
14.	Infrastructure including civic amenities.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules, regulations and available guidelines.
15.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules, regulations and available guidelines.
16.	Undertaking other activities related to tourism like over flying the Eco-sensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, microlites, etc.	Regulated under applicable laws.
17.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated under applicable laws.
18.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated, for commercial purpose, under applicable laws.
19.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted under applicable laws for use of locals.
20.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, companies, etc.	Regulated under applicable laws.
21.	Discharge of treated waste water/effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water/effluents shall be avoided to enter into the water bodies and efforts shall be made for recycle and reuse of treated waste water, and the discharge of treated waste water/effluent shall be regulated as per applicable laws.
22.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated under applicable laws.
23.	Open well, bore well, etc. for agriculture or other usage.	Regulated and the activity should be strictly monitored by the appropriate authority.
24.	Solid waste management.	Regulated under applicable laws.
25.	Introduction of exotic species.	Regulated under applicable laws.
26.	Eco-tourism.	Regulated under applicable laws.
27.	Use of polythene bags.	Regulated under applicable laws.
28.	Commercial sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
C. Promoted Activities		
29.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
30.	Organic farming.	Shall be actively promoted.

IndiaCode

31.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
32.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
33.	Use of renewable energy and fuels.	Bio gas, solar light, etc. shall be promoted.
34.	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.
35.	Plantation of horticulture and herbals.	Shall be actively promoted.
36.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
37.	Skill development.	Shall be actively promoted.
38.	Restoration of degraded land/ forests/ habitat.	Shall be actively promoted.
39.	Environmental awareness.	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee .-

The Central Government hereby within three months of this Notification constitutes a Monitoring Committee, for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone, comprising of the following, namely: -

S. No.	Constituent of Monitoring Committee	Designation
1.	District Collector, Jaipur	Chairman;
2.	Sub-divisional officer, Jamwaramgarh	Member;
3.	Honorary wildlife warden, Jaipur	Member;
4.	Pradhan, Panchayat Samiti, Amer	Member;
5.	A representative of Non-Governmental Organisation working in the field of wildlife conservation to be nominated by the State Government	Member;
6.	One expert in biodiversity nominated by the State Government	Member;
7.	One expert in Ecology from a recognised institution or university of the State	Member;
8.	Dy. Conservator of Forest wildlife, Jaipur	Member- Secretary.

6. Terms of reference.– (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

(2) The tenure of the Monitoring Committee shall be for three years or till the re-constitution of the new Committee by the State Government and subsequently the Monitoring Committee shall be constituted by the State Government.

(3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

(5) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Commissioner(s) shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.

IndiaCode

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in the State as per proforma given in Annexure V.

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. Additional measures.- The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. Supreme Court, etc. orders.- The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or High Court or National Green Tribunal.

[F. No. 25/02/2018-ESZ]

Dr. SATISH C. GARKOTI, Scientist 'G'

ANNEXURE- I

BOUNDARY DESCRIPTION OF ECO-SENSITIVE ZONE OF THE JAMWARAMGARH SANCTUARY PROTECTED AREA

East-Southern Boundary: The Eastern boundary of the proposed Eco-sensitive Zone starts from common boundary of forest block Degota-61 and Kanikhor-62 southern point. It is 100 meters away from this point i.e. village Sankotara. The Eco- sensitive Zone boundary will be 100 meters away from Sanctuary boundary in the villages Patalwas, bhawani, Kharad, Rampura, Ghoreth, Raipur, asthal ka baas, Baodi (jarunda) Khawa, Paladi Khurd, Kharkada, Paladi Kalan, Goth Paladi, Sarjoli, Buj, Manota, Dodadungar Sanctuary boundary.

South-Western Boundary: The South boundary of Eco-sensitive Zone starts from one kilometer away from village boundary of Dodadungar, Rampura, Dhani Arajshala. From there to village Dipola, the Eco-sensitive Zone shall be 100-200 meters from the forest boundary, and then excluding dhani Seera, Eco-sensitive Zone will be 100 meters from Sanctuary boundary, from Jamwaramgarh to Rawla talab. From there to village Narpatiyawas, Chugalpuriya, Koliana, Pali, Bisori, Nangal Tulsidas, Ghata jaldhari, Basana, Todameena the Eco-sensitive Zone shall be one kilometer away from Sanctuary boundary.

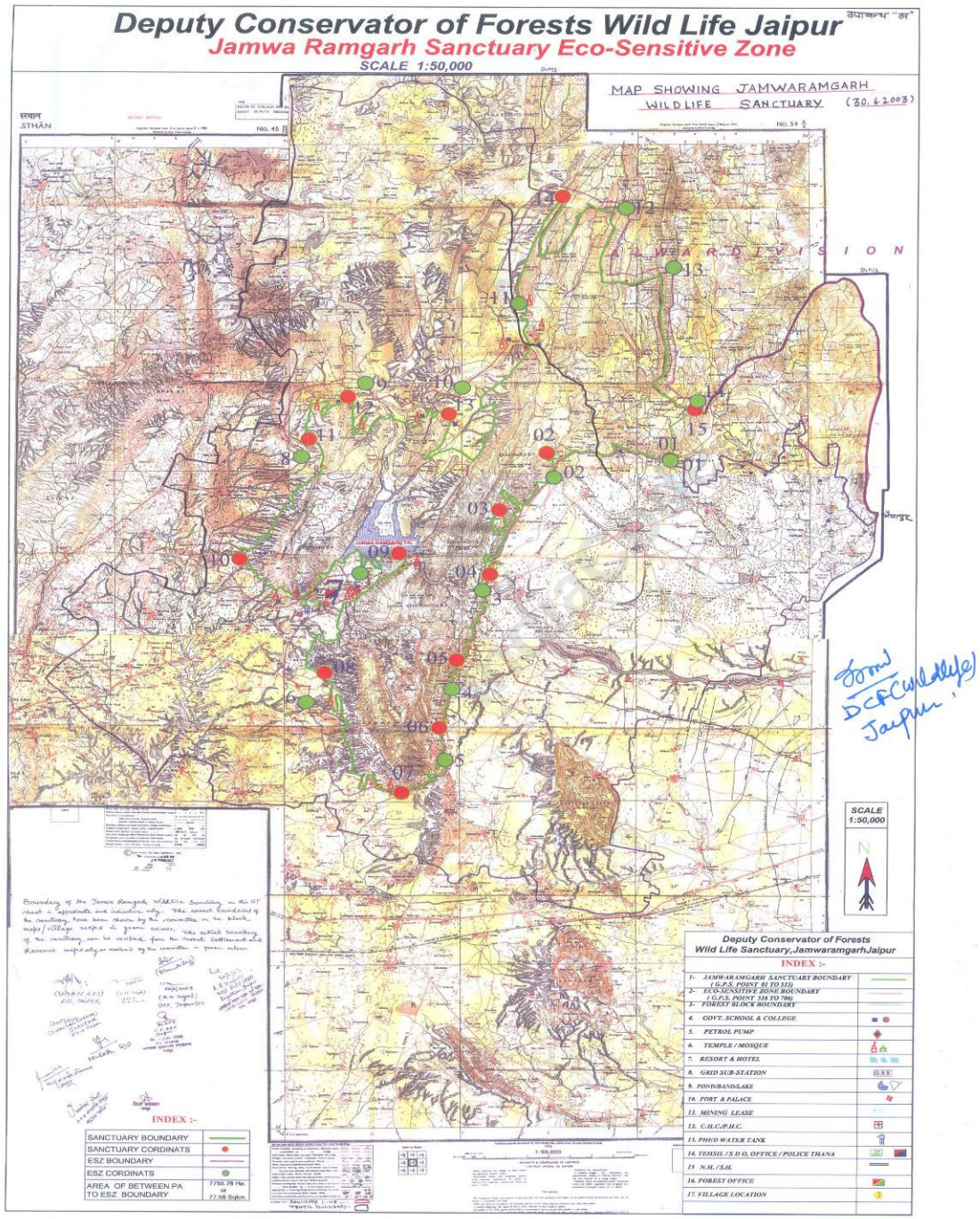
West-Northern Boundary: Eco-sensitive Zone from village Todameena to Bhavgarh ,Godiana, Samred Khurd, Raisar, Jojarala shall be one kilometer from the Sanctuary boundary. From there, Village Luneta mining area, the Eco-sensitive zone boundary shall be 100 meters in nearly two kilometers distance. From there village Bahlod, Jaisinghpura, Chilpali, Kela ka baas, the forest boundary Pillar number 118, Eco-sensitive Zone shall be one kilometer from the Sanctuary boundary.

North-Eastern Boundary: From village kela Ka bas to starting point of forest block Degota-61 which is in district Alwar, Eco-sensitive Zone shall be 500 meters from Sanctuary boundary.

indiacode

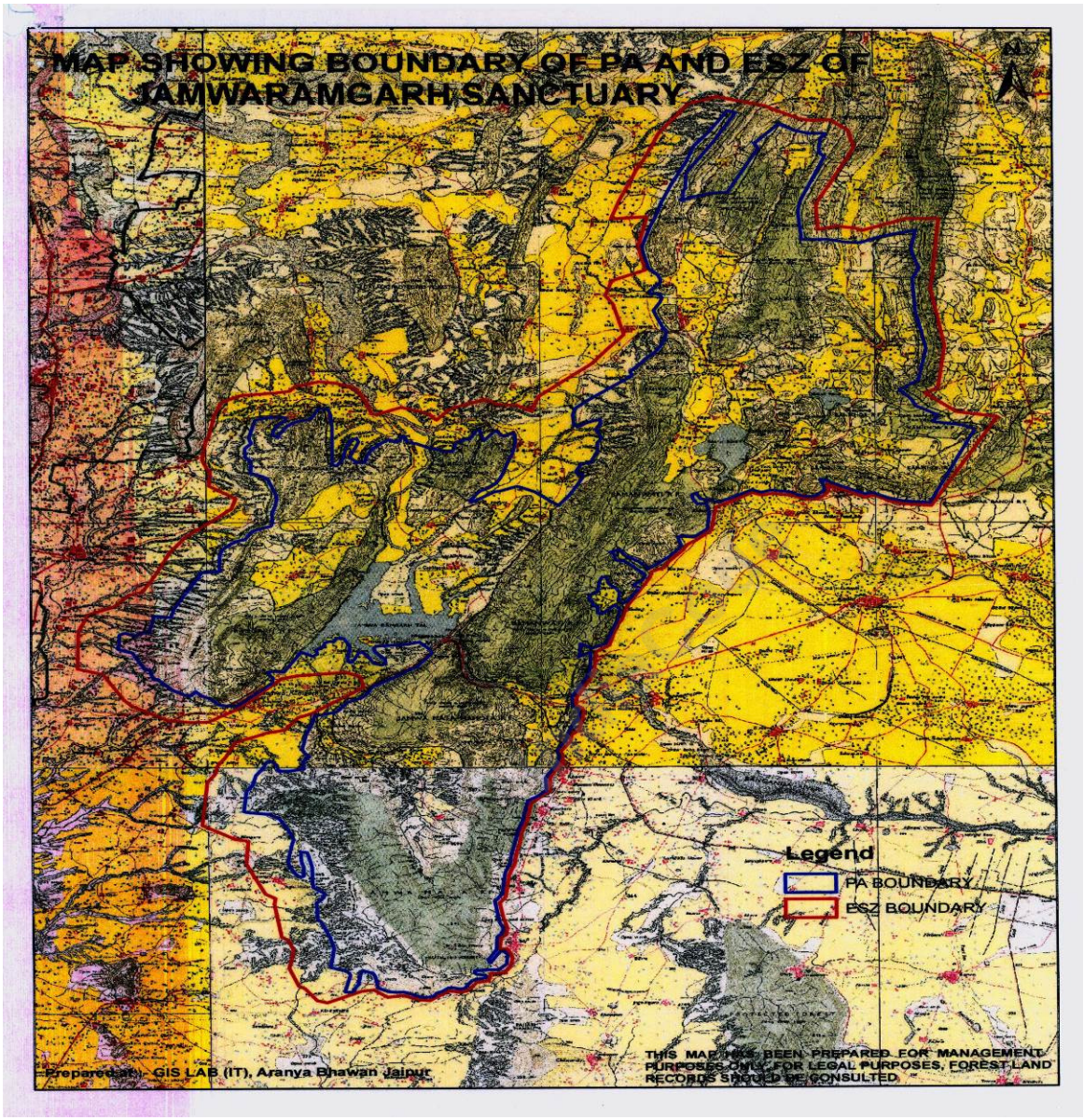
ANNEXURE-IIA

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF JAMWARAMGARH SANCTUARY ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS



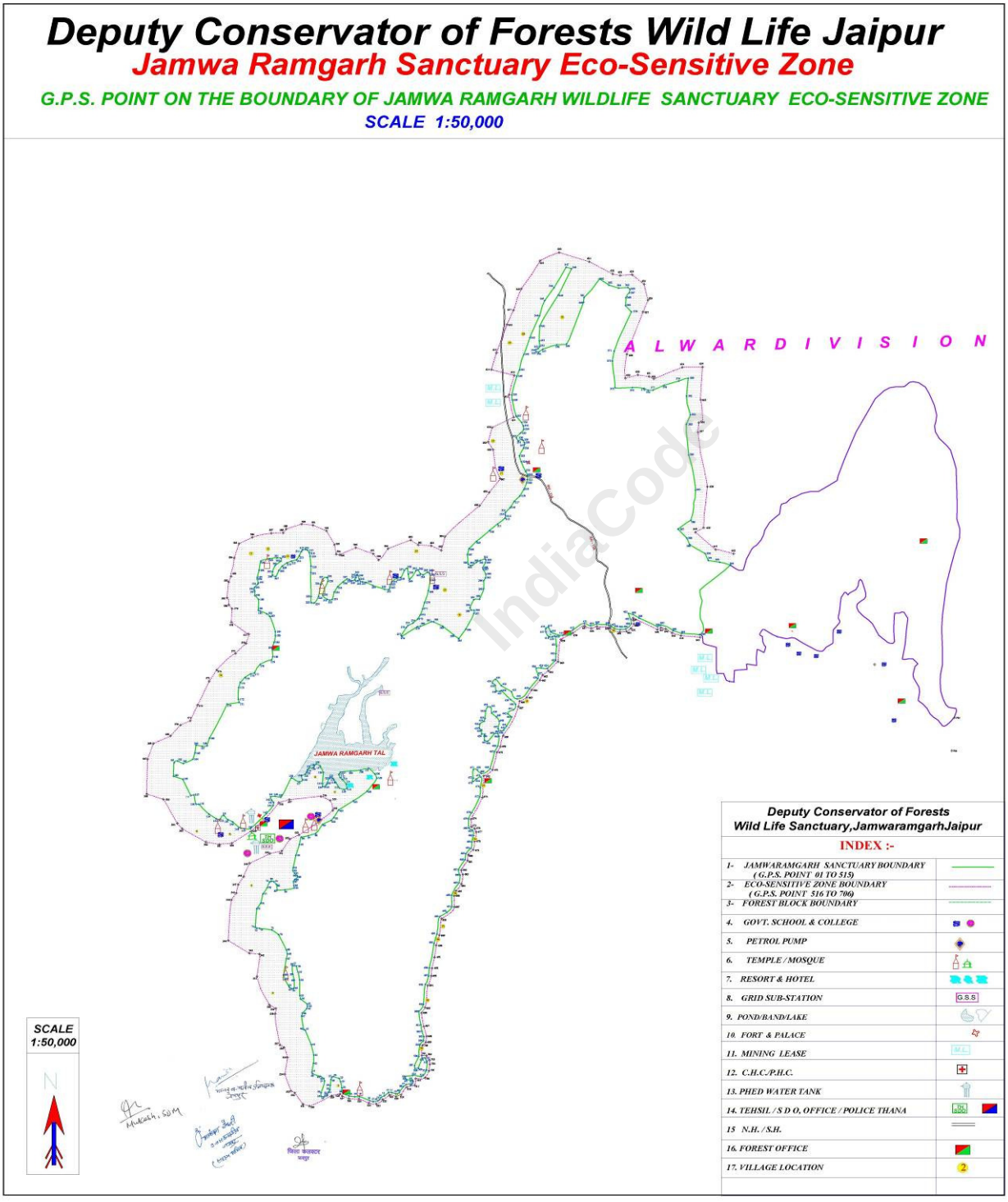
ANNEXURE-IIB

GIS MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF JAMWARAMGARH SANCTUARY



ANNEXURE-IIC

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF JAMWARAMGARH SANCTUARY ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS



ANNEXURE-III

TABLE A: Geo-coordinates of Prominent Locations of Jamwaramgarh Sanctuary

S. No.	North	East
1.	N 27° 05' 24.0"	E 76° 10' 49.3"
2.	N 27° 05' 35.6"	E 76° 07' 20.5"
3.	N 27° 03' 52.1"	E 76° 05' 59.2"
4.	N 27° 01' 54.7"	E 76° 05' 43.6"
5.	N 26° 59' 18.9"	E 76° 04' 47.1"
6.	N 26° 57' 15.4"	E 76° 04' 16.6"
7.	N 27° 55' 17.8"	E 76° 03' 12.8"
8.	N 27° 58' 56.9"	E 76° 01' 04.0"
9.	N 27° 02' 33.4"	E 76° 03' 10.2"
10.	N 27° 02' 24.7"	E 75° 58' 40.5"
11.	N 27° 06' 00.6"	E 76° 00' 39.7"
12.	N 27° 07' 19.6"	E 76° 01' 45.8"
13.	N 27° 06' 48.1"	E 76° 04' 36.4"
14.	N 27° 13' 25.5"	E 76° 07' 49.8"
15.	N 27° 06' 53.1"	E 76° 11' 29.3"

IndiaCode

TABLE B: Geo-coordinates of Prominent Locations of Eco-sensitive Zone

S. No.	North	East
1.	N 27° 05' 20.5"	E 76° 10' 50.2"
2.	N 27° 04' 50.3"	E 76° 07' 33.6"
3.	N 27° 01' 25.7"	E 76° 05' 31.5"
4.	N 26° 58' 25.5"	E 76° 04' 39.0"
5.	N 26° 56' 17.5"	E 76° 04' 20.2"
6.	N 26° 58' 02.5"	E 76° 00' 33.5"
7.	N 27° 01' 56.9"	E 76° 02' 03.9"
8.	N 27° 05' 29.9"	E 76° 00' 26.2"
9.	N 27° 07' 43.8"	E 76° 02' 14.9"
10	N 27° 07' 35.0"	E 76° 04' 58.9"
11.	N 27° 10' 10.1"	E 76° 06' 35.4"
12	N 27° 13' 02.3"	E 76° 09' 37.5"
13.	N 27° 11' 13.4"	E 76° 10' 57.4"
14.	N 27° 07' 09.0"	E 76° 11' 49.1"

ANNEXURE-IV

LIST OF VILLAGE AREA COMING UNDER ECO-SENSITIVE ZONE OF JAMWARAMGARH SANCTUARY

S. No.	Name of the village	S. No.	Name of the village
1	Sankotda	31	Nangal Tulsidass
2	Patal ka baas	32	Ghata Jaldhari
3	Bhavni	33	Basna
4	Kharad	34	Toda meena
5	Harampur	35	Bhavgarh
6	Ghoreth	36	Godiana
7	Raipur	37	Samred Khurd
8	Asthal ka baas	38	Raisar
9	Jharunda	39	Jojrala
10	Khawa	40	Luneta
11	Paladi Khurd	41	Kela ka baas
12	Kharkada	42	Bahlod
13	Paladi Kalaa	43	Jaisinghpura
14	Sarjoli	44	Chawa ka bas
15	Buj	45	Lalpura
16	Manota	46	Palasana
17	Jhol	47	Guwara-Jogian
18	Doda dungar	48	Lotha ka bas
19	Papad	49	Gurawa nal
20	Rampura	50	Jaitpur gujaran
21	Jamwaramgarh	51	Nitata
22	Meghrajsinghpura		
23	Bishanpura		
24	Nayabaas		
25	Narpatiyabas		
26	Badiyawala		
27	Chugalpura		
28	Koliana		
29	Pali		
30	Bisori		

Indiacode

Annexure –V

Performa of Action Taken Report: - Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006. Details may be attached as separate Annexure.
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006. Details may be attached as separate Annexure.
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2018.12.27 15:56:35 +05'30'